324

संख्याः /XVIII(II)/2013–1(19)/2008

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 20 सितम्बर, 2013

विषयः–श्रीमती रूपा सरोहा पत्नी श्री रणवीर सिंह सरोहा, दिल्ली को ग्राम भकरा कोट, तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा में पर्यटन प्रयोजनार्थ 0.702 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–3192/पांच–स्टाम्प सहा0/2007 दि0–23.01.2008 एवं पत्र सं0–2284/स्टाम्प सहा0/2009–10 दि0–16.12.2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, श्रीमती रूपा सरोहा पत्नी श्री रणवीर सिंह सरोहा, दिल्ली को ग्राम भकरा कोट, तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा में खाता सं0–02 मध्ये 0.702 है0 (35 नाली) भूमि पर्यटन प्रयोजनार्थ क्रय करने की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(II) के अन्तर्गत एवं पर्यटन विभाग की सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– वन अधिनियम के अंतर्गत घोषित कार्बेट टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र की बाह्य सीमा के आसन में दो कि0मी0 में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154(4)(3)(क)(ख) के अंतर्गत भूमि कय की अनुमति/भू उपयोग परिवर्तन निषिद्ध किये जाने विषयक शासनादेश सं0–2756/XVIII(II)/2013 दि0–16.2.2012 के अंतर्गत यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत भूमि इससे आच्छादित नहीं है।

2– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

3– केता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (पर्यटन/रिसोर्ट्स के निर्माण) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

.....2

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि समस्त वर्जनाओं से विमुक्त है तथा संबंधित भूमि के क्रय में किसी भूमि संबंधी कानून विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है।

8– सम्बन्धित क्षेत्र/भूमि की भूगर्भिक दशा एवं परियोजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निर्माण के पर्यावर्णीय प्रभाव के अध्ययन/आंकलन के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

9– सम्बन्धित भूमि व उस पर प्रस्तावित निर्माण के सन्दर्भ में वन संरक्षण अधिनियम/वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एफ0ए0आर0 रूल्स अथवा अन्य कोई अधिनियम/नियम लागू होने/न होने तथा प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी किन्ही विनियमों के परिप्रेक्ष्य में वांछित कार्यवाही/अनुपालन सम्बन्धित निवेशक/फर्म द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

10– इकाई द्वारा इको प्रोडक्ट/इको फ्रेन्डली प्रेक्टिस के तहत मानकों का ध्यान रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिसोर्ट का संचालन किया जायेगा। इसके अंतर्गत शोर शराबे वाले बाद्य यंत्र/डीजे तथा अत्यधिक ध्वनिकारक जनरेटर आदि का प्रयोग रिसोर्ट में नहीं किया जायेगा तथा प्लास्टिक पैंकिग वाली सामग्री का भी प्रयोग नहीं किया जायेगा।

11– इकाई द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी एवं यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इससे पर्यावरण एवं वन्य जन्तुओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इकाई द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

12– वन्यजीव वास स्थल की संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना के स्थापना के संबंध में राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की भी अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी तथा इस संबंध में वन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13– परियोजना प्रस्ताव में दर्शित इकाई के डिजाइन, आकार/प्रकार, निवेश सीमा, निर्माण अवधि एवं अन्य संगत प्राविधानों/अभिकथनों का निवेशक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14– स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाई में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

15– स्थानीय समुदाय/ग्राम वासियों से भी इकाई की स्थापना के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

16– इकाई के कैम्पस के अन्तर्गत पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

17– यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि भूमि क्रय एवं उस पर पर्यटन इकाई की स्थापना तथा इकाई द्वारा जल व अन्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने पर स्थानीय समुदाय/पंचायत को कोई आपत्ति न हो।

18– स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाई में उपलब्ध अवसरों में से 70 प्रतिशत पर उत्तराखण्ड राज्यों के मूल निवासियों को रोजगार दिया जायेगा।

.....3

19– किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नही होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

20– भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नही होगा एवं ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु स
कारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

21– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी ।

22– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

23– उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों का उल्लघंन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझे, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए जनपद स्तर से निर्गत होने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन की स्थिति से भी यथा समय पर शासन को अनिवार्य रूप से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0-3063/समदिनांकित 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6– श्रीमती रूपा सरोहा पत्नी श्री रंणवीर सिंह सरोहा, निवासी ए–1, रोज अपार्टमेन्ट, सेक्टर–14, रोहिणी, दिल्ली।
7– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– नोडल आफिसर/स्टॉफ ऑफिसर, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।